[...] (भूमि अवाप्ति) भीलवाड़ा

कमांकः भूमि अवाप्ति / प्रतिकर / प्र0सं0 / 12 / 2020

दिनांक 26 फरवरी, 202[...]

:: अवार्ड़ ::

अवार्ड़ अन्तर्गत धारा 3 G राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 ए[...] Section 24 of RFCTLARR Act, 2013 to Acquisition Under NH Ac[...] 1956

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के छः लेन निर्माण / चौड़ाकरण के लिए अतिरिक्त भूमि अवाप्[...] हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 की धारा **3 A (1)** के अन्तर्गत अधिसूचना **दिनां[...] 22/08/2019** को प्रकाशित की गयीं, जिसका प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रो में **दिनांक 08/09/2019** क[...] किया गया। इसके उपरान्त विहित अधिनियम की धारा **3 D (1)** के अन्तर्गत अधिसूचना **दिनांक 06/12/2019** को प्रकाशित की गयीं, जिसका प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रो में **दिनांक 28/12/2019** को किया गया। सूचना प्रकाशन होने के उपरान्त विहित अधिनियम की धारा **3 D (2)** के अनुसार अवाप्ताधीन भूमि समस्त भारो से मुक्त होकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार में निहित हो चुकी है।

अवाप्ताधीन भूमि के प्रतिकर निर्धारण हेतु विहित अधिनियम की धारा **3D** के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचना का अवलोकन किया गया। अधिसूचना के अनुसार विपक्षी के खाते मे अंकित **ग्राम पांसल तहसील भीलवाडा की आराजी नं0 2006/3 में से 0.0200 हेक्टयर** भू-भाग अवाप्त किया गया हैं।

तहसीलदार भीलवाडा से अवाप्ताधीन भूमि का सत्यापन प्रतिवेदन एवं जमाबन्दी की प्रति प्राप्त की गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। **ग्राम पांसल तहसील भीलवाडा की आराजी नं0 2006/3, किस्म पेटा, रकबा 0.0600 बीघा** विपक्षी के स्वामित्व की होकर इस **आराजी में से 0.0200 हैक्टयर अर्थात 200 वर्गमीटर** भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण / चौड़ाकरण में अवाप्ताधीन हैं। अवाप्ताधीन भूमि की **DLC** दर उप पंजीयक **भीलवाड़ा** से प्राप्त की गयीं।

अतः तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त मौका सत्यापन रिपार्ट एवं जमाबन्दी की प्रति को आधार स्तम्भ लिया जाकर **ग्राम पांसल तहसील भीलवाडा की आराजी नम्बर 2006/3 में से 0.0200 हेक्टयर अर्थात 200 वर्गमीटर** भूमि का प्रतिकर निर्धारण विपक्षी के नाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

राजस्व ग्राम पांसल, तहसील भीलवाड़ा की अवाप्ताधीन **आराजी नम्बर 2006/3 में से 0.0200 हैक्टयर अर्थात 200 वर्गमीटर** भूमि के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 की धारा **3 G (1) (7)** में प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए नवीन भूमि अर्जन पुनःर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार अवाप्ताधीन भूमि का निम्नानुसार प्रतिकर निर्धारित किया जाता है तथा हितबद्ध व्यक्ति / खातेदार को भुगतान करने के आदेश दिये जाते हैं –

हितबद्ध व्यक्ति / खातेदर का नाम	अवाप्त भूमि का विवरण			दिनांक 22.08.19 को **DLC** दर (प्रति बीघा)	**PWD** के अनुसार ग्राम पांसल की शहरी सीमा से दूरी	कृषि भूमि / आबादी भू-खण्ड तथा निर्माण निर्माण स्थायी संरचना का मूल्य				सोलिशियम (तोषण) राशि (100 प्रतिशत) कॉलम नं0 10 अंकित राशि का	दिनांक 08.09.19 से 26.02.2020 तक कुल 171 दिवस का ब्याज **(12%से)**	कुल मुआवजा राशि कॉलम नं0 **(10+11+12)**
	आ0 नं0	रकबा (हेक्टयर)	किस्म			प्रतिकर राशि	निर्धारित फेक्टर दूरी 0-10 किमी पर देय कारक 1.25 गुणा दर से राशि	स्थायी संरचना का मूल्य	योग **(8+9)**			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
श्रीमती लीला देवी पत्नी नारायण लाल लढा निवासी आर0सी0 व्यास कॉलोनी, भीलवाडा	2006/3	0.0200 हेक्टयर अर्थात 200 वर्गमीटर	पेटा	19,75,700- अर्थात 781.13 प्रति वर्गमीटर	0-10	1,56,226-	1,95,282-	**Nil**	1,95,282-	1,95,282-	8,782-	3,99,346-

क0सं0	विवरण	राशि
1	कुल प्रतिकर राशि	3,99,346–
2	कुल प्रतिकर राशि पर 10 प्रतिशत की दर से आयकर **(TDS)** कटौती	**Nil**
3	शुद्ध भुगतान योग्य राशि	3,99,346–
	अक्षरे – तीन लाख नन्यानवे हजार तीन सो छियालिस रूपये मात्र	

परियोजना निदेशक अवार्ड़ अनुसार प्रतिकर राशि तत्काल इस न्यायालय के बैंक अकाउन्ट में जमा कराना सुनिश्चित करे। विलम्ब के लिए परियोजना निदेशक जिम्मेदार होगें। तहसीलदार हितबद्व व्यक्ति/खातेदार से सम्पर्क कर प्रतिकर भुगतान पत्रादि प्रस्तुत करे तथा अवाप्तशुदा भूमि को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष मे राजस्व अधिकार अभिलेख मे अंकन किया जावे एवं भूमि का कब्जा परियोजना निदेशक को सुपुर्द किया जावे।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
एवं सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति)
भीलवाड़ा

एवं सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति)
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि – पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं –

1. **परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भीलवाड़ा** को पालनार्थ भेजकर निर्देश दिये जाते हैं कि अवार्ड़ अनुसार प्रतिकर राशि तत्काल इस न्यायालय के बैंक अकाउन्ट में जमा कराई जावे। हितबद्ध से भुगतान पत्रादि तैयार करवा पटवारी/तहसीलदार के माध्यम से इस न्यायालय में प्रस्तुत कराएं जावें। समय पर बजट/लिमिट जारी नहीं होने एवं भुगतान प्रत्रादि प्राप्त होने की स्थिति में उपलब्ध बजट में से भुगतान कर दिया जावेंगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

2. **तहसीलदार, भीलवाड़ा**
को भेजकर लेख हैं कि हितबद्धधारी से सम्पर्क कर अवार्ड़ अनुसार प्रतिकर राशि के भुगतान हेतु प्रदत्त निर्देशानुसार निर्धारित प्रपत्र में भुगतान प्राप्ति पत्रादि तैयार करवा अविलम्ब प्रस्तुत किए जावे। हितबद्ध व्यक्ति/ खातेदारान् से इस आशय का इकरार नामा/अण्ड़र टेकिंग प्राप्त किया जावे कि यदि किसी कारणवश मुआवजा राशि गलत भुगतान होने या अधिक भुगतान होने पर वह ऐसी राशि अविलम्ब इस न्यायालय में जमा करायेगा। ऐसा नहीं करने पर उक्त राशि उसकी चल–अचल सम्पत्ति में से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में वर्णित प्रावधानो के तहत वसूल की जा सकेगी। हितबद्ध व्यक्ति/खातेदारान् से भूमि/भू–खण्ड़ तथा उस पर निर्मित निर्माण/कुंआ/टयूबवेल/अन्य संरचनाओ का कब्जा प्राप्त कर प्रार्थी परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सिपुर्द किया जावे। अवाप्त भूमि का नामान्तरकरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नाम पर इन्द्राज किया जाकर राजस्व रेकाड़ में अमल–दरामद कर जमाबन्दी की एक प्रति न्यायालय में प्रस्तुत की जावे तथा एक प्रति प्रार्थी परियोजना निदेशक को भिजवाई जावे।

4. **हितबद्ध व्यक्ति/खातेदारान् श्रीमती लीला देवी पत्नी नारायणलाल लढा निवासी आर0सी0व्यास कॉलोनी, भीलवाडा,** को भेजकर लेख है कि अवाप्त भूमि के प्रतिकर भुगतान प्राप्ति हेतु संलग्न भुगतान प्रपत्र की पूर्ति करा आवश्यक दस्तावेजो के साथ पत्रादि पटवारी/तहसील के माध्यम से तत्काल प्रस्तुत करावें।

अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
एवं सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति)
भीलवाड़ा

अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
एवं सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति)
भीलवाड़ा